UPLK010001092021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 32 / 2021

सरकार **बनाम** अनुराग सिंह आदि

अ0सं0 123 / 2020
धारा–323,336,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–इटौंजा, लखनऊ।

28–11–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण अनुराग सिंह, बृजेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 336, 504, 506 भा0द0सं0 धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 19–01–2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010001092021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 32/2021

सरकार **बनाम** अनुराग सिंह आदि

अ0सं0 123/2020
धारा–323,336,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–इटौंजा, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण अनुराग सिंह एवं बृजेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 07.06.2020 समय 17.00 बजे थाना इटौंजा, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत बगहा चौराहे पर में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत को मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि दिनांक व समय अदम तहरीर स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत पर ईंटा मारकर उसके जीवन को संकटापन्न उत्पन्न किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–336 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत को जातिसूचक भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर ाप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

अष्टमयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर ाप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा मनोज रावत जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 28–11–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 28–11–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

Digitally signed by DINESH KUMAR MISHRA
Date: 2023.11.28 19:22:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court